



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240652
CG-DL-E-30112022-240652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5290]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944

No. 5290]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

का.आ. 5520(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का १०० (अ) तारीख १० फरवरी २०२२, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जालना जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ सी मंठा तालुका बॉर्डर ते परतूर खण्ड के हृद के ०/००० कि.मी. से ५१/२६२ कि. मी. जालना जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ सी मंठा तालुका बॉर्डर से परतूर खण्ड के हृद के ०/००० कि. मी. से ५१/२६२ कि. मी. तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख दि.१३ .०४.२०२२ को दैनिक आत्ताच एक्सप्रेस (मराठी) और दि. १२.०४.२०२२ को दैनिक पार्श्वभूमी दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में NH548C के कि.मी. 0 से कि.मी.51.262 मंठा तालुका बॉर्डर ते परतूर खण्ड के हद के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: जालना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मंठा				
	गांव का नाम: दहिफळ खंदारे				
1	621	निजी	एग्रीकल्चर	0.06	नितीन बळीराम चाटे (६२१)
2	621	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	सदाशिव हरीभाऊ केंद्रे (६२१)
3	622	निजी	एग्रीकल्चर	0.06	विठ्ठल कुंडलिक मुंढे (६२२)
4	637	निजी	एग्रीकल्चर	0.13	विष्णु नरहरी चाटे (६३७)
5	637	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	बळीराम नरहरी चाटे (६३७)
6	639	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	बळीराम कुंडलिक केंद्रे (६३९)
7	639	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	सदाशिव हरिभाऊ केंद्रे (६३९)
8	639	निजी	एग्रीकल्चर	0.11	सीताराम हरिभाऊ केंद्रे (६३९)

9	640	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	बबन बापूराव खंदारे (६४०)
			कुल	0.62	

[फा. सं. 12037/79/2017-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

S.O. 5520(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **NO S.O.100 (E) Dated 10 th january 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of **NH548C on the stretch of land from Km 0/000 to Km 51.262 mantha tauka border** in the district of Jalna in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in **Dainik Aattach Express (Marathi)" dated 13.04.2022 & Dainik Parhsvabhoomi (Marathi)" dated 12.04.2022** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548Cmantha tauka border to partur in the stretch of land from Km. 0.000 to 51.262 in the district of Jalna in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Jalna		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mantha				
	Village: Dahifal Khandare				
1	621	Private	Agriculture	0.06	Nitin Baliram Chate 621
2	621	Private	Agriculture	0.03	Sadashiv Haribhau Kendre 621
3	622	Private	Agriculture	0.06	Vitthal Kundlik Mundhe 622

4	637	Private	Agriculture	0.13	Vishnu Narhari Chate 637
5	637	Private	Agriculture	0.04	Baliram Narhari Chate 637
6	639	Private	Agriculture	0.04	Baliram Kundlik Kendre 639
7	639	Private	Agriculture	0.03	Sadashiv Haribhau Kendre 639
8	639	Private	Agriculture	0.11	Sitaram Haribhau Kendre 639
9	640	Private	Agriculture	0.12	Baban Bapurao Khandare 640
			TOTAL	0.62	

[F. No. 12037/79/2017-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Director